POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2016/अंक 01

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जनवरी, 2016 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पिछले महीने 24 दिसम्बर को देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। उपभोक्ताओं को जागृत करने के मकसद से इस दिन राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर हर साल कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन कार्यक्रमों में उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं।

पूरा विश्व 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा। विश्व स्तर के उपभोक्ता संगठन इस दिन उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उनके अधिकारों की पैरवी करते हैं। बावजूद इसके, आज भी उपभोक्ता सर्वाधिक शोषण का शिकार है।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

मसलन, उपभोक्ता अधिकारों के तहत हर उपभोक्ता को ऐसी वस्तुओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए नुकसानदेह हो। गौरतलब है, सुरक्षा के लिए देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू है। साथ ही डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लिए भी फूड सेफ्टी गाइड लाइन बनी हुई है। कानून के तहत किसी भी वस्तु में मिलावट व नुकसानदेह साबित होने पर उम्र कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा है। बावजूद इसके, खाद्य वस्तुओं में मिलावट और जहरीले उत्पादन उपभोक्ताओं के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं।

मिलावट की रोकथाम के लिए बने सरकारी तंत्र की ढिलाई, भ्रष्टाचार और अपराधियों से सांठगाठ के चलते मिलावटखोर उपभोक्ता के जीवन से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हैं।

संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार का हिस्सा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम व्यवस्था देते हुए कहा है कि संपत्ति का अधिकार मानवाधिकारों का हिस्सा है। भूमि मालिक को यह अधिकार है कि वह सरकार द्वारा उसकी अधिगृहीत की गई भूमि का उचित मुआवजा दे।

गौरतलब है कि संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 ए में वर्णित है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा संरक्षित अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.गोपालागोडा और जस्टिस अमिताव राय की पीठ ने यह फैसला राजस्थान के किसानों की एक याचिका पर दिया है। किसानों ने मांग की थी कि उन्हें सरकार द्वारा अधिगृहीत जमीन का उचित मुआवजा मिले। कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि भूमि के मालिक को पर्याप्त मुआवजा मिल गया है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि संपत्ति के अधिकार के अभाव में अन्य अधिकार अवास्तविक हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जमीन अधिग्रहण में अपना वादा पूरा नहीं किए जाने पर राजस्थान सरकार की खिंचाई भी की है। राज्य सरकार ने वर्ष 2001 में जमीन का अधिग्रहण किया था। राज्य सरकार ने वादा किया था कि भूमि मालिकों को अधिगृहीत जमीन के पास की 15 फीसदी विकसित भूमि दी जाएगी।

चोरी हुए सामान की क्षतिपूर्ति देगा रेलवे

सुरेन्द्र कुमार जाटव ने सूरतगढ़ से सवाईमाधोपुर आने के लिए हनुमानगढ़-कोटा ट्रेन के एसी कोच में तीन टिकट बुक कराई थी। उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को उक्त ट्रेन से यात्रा की। उनके सूटकेस व ट्रॉली बैग बर्थ के नीचे रखे थे। जयपुर आने पर पता चला कि ट्रॉली बैग में रखे 3 लाख 60 हजार रुपए के कीमती सोने व चांदी के आभूषण, कपड़े, कैमरा आदि सामान गायब है। बैग की चैन भी कटी हुई थी। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर शिकायत करने पर टीटीई ने एफआईआर की रसीद दी। जीआरपी थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन चोरी गया सामान नहीं मिला।

सुरेन्द्र कुमार जाटव ने उपभोक्ता जिला मंच में मंडल रेल प्रबन्धक उत्तर-पश्चिम रेलवे जयपुर के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने सुनवाई पर मंच को सारी स्थितियों से अवगत कराया। मंच ने रेलवे के एसी कोच से सामान चोरी होने पर रेलवे को दोषी माना। मंच ने मंडल रेल प्रबन्धक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को आदेश दिए है कि वह सुरेन्द्र कुमार जाटव को चोरी गए सामान की कीमत 3 लाख 60 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति अदा करे। इसके साथ ही मानसिक संताप के एवज में 20 हजार रुपए एवं परिवाद व्यय के पांच हजार रुपए अलग से अदा करे। यह राशि तीन माह की अवधि के भीतर परिवादी को चुकानी होगी।

'कट्स' कन्ज्यूमर इन्टरनेशनल की गवर्निंग काउन्सिल में चयनित

'कट्स' उपभोक्ता संस्थाओं के अन्तरराष्ट्रीय महासंघ की गवर्निंग काउन्सिल में चयनित हुआ है। पिछले दिनों ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित आमसभा में सम्पन्न हुए परिषद के चुनावों में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन को 'कट्स' के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। कन्ज्यूमर इन्टरनेशनल का मुख्यालय लन्दन में हैं। इसके 120 देशों के 240 से अधिक उपभोक्ता संगठन सदस्य हैं। यह उपभोक्ताओं की विश्व स्तर पर आवाज बुलन्द करने के लिए स्वतन्त्र रूप से कार्य करता है। कन्ज्यूमर इन्टरनेशनल में अध्यक्ष के अलावा 13 सदस्य चुने गए हैं।

जॉर्ज चेरियन द्वारा पूर्व में भी 'कट्स' प्रतिनिधि के रूप में उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए है। इसके लिए अमरिकी उपभोक्ता परिषद द्वारा वर्ष 2013 में प्रतिष्ठित रोडा कारपटकिन अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा, वे कन्ज्यूमर इन्टरनेशनल में जी-20 देशों के साथ वित्तीय सेवा और डिजीटल युग में भी अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में शामिल रहे हैं। संस्था प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

किसानों को जारी होंगे 'सॉयल हैल्थ कार्ड'

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि सॉयल हैल्थ कार्ड खेती की जमीन के लिए जन्मपत्री का काम करेगा। किसान भाई अगर इस कार्ड के दिशा-निर्देशों के आधार पर खेती करेंगे, तो उत्पादन बढ़ेगा, खेती की लागत घटेगी और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

वर्ल्ड सॉयल डे पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। अब हर साल 5 दिसम्बर का दिन वर्ल्ड सॉयल डे के रूप में मनाया जाएगा।

प्रदेश में 70 लाख किसानों को यह कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की कमी होने से अभी तक ढ़ाई लाख किसानों को ही यह कार्ड वितरित हो पाए हैं। जल्द ही 55 नई प्रयोगशालाओं की स्थापना कर कार्य में तेजी लाई जाएगी।

प्रदेश में अब सेहत की गारंटी

प्रदेश में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर जयपुर के जनपथ पर समारोह मनाया गया। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश के विकास और भाजपा पर जनता के विश्वास की सराहना की। खुले मंच पर सरकार, प्रदेश और जनता के स्वास्थ्य पर बातें हुई। सरकार ने माना कि प्रदेश में सत्ता और संगठन चुस्त-दुरुस्त है।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक करोड़ परिवारों के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। सभी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। योजना में 3 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इसके लिए 167 निजी और 250 सरकारी अस्पताल अधिकृत किए गए हैं।

राजे ने समारोह में 29 हजार करोड़ की दो दर्जन योजनाओं की घोषणा की और जनता को विश्वास दिलाया कि प्रदेश की सेहत यानी विकास को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

प्रदेश में बना पहला धुंआ रहित गांव

जयपुर की बस्सी तहसील का रामसिंहपुरा गांव प्रदेश का पहला स्मोक लैस (धुंआ रहित) गांव बन गया है। इस गांव के 180 घरों की हर रसोई में अब लकड़ी-छाणों की जगह गैस चूल्हों का इस्तेमाल होगा। ग्राम पंचायत ने गांव को स्मोक लैस होने का प्रमाण पत्र जारी किया है।

अब तक छह राज्यों के 40 गांव इस सूची में शामिल हो चुके हैं। गौरतलब यह है कि दुनिया का एक चौथाई ब्लैक कार्बन प्रदूषण केवल चूल्हों से फैल रहा है, जो जलवायु में 20 प्रतिशत परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।

शौचालय के लिए मिलेंगे अब 12 हजार

स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में प्रदेश काफी पीछे है। मिशन में तेजी लाने के मकसद से अब शौचालय निर्माण के लिए दी जा रही अनुदान राशि में चार हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे अब शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

मिशन के तहत घरेलू शौचालय निर्माण पर फिलहाल चार हजार रुपए केन्द्र और चार हजार रुपए राज्य सरकार की ओर से राशि मुहैया कराई जा रही है, लेकिन शौचालय निर्माण में गति नहीं आ पा रही है। ऐसे में अब प्रति शौचालय 12 हजार रुपए मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 4 हजार रुपए केन्द्र व 8 हजार रुपए राज्यांश राशि होगी।

यह आदेश नए प्रकरणों पर ही लागू होगा, शौचालय निर्माण की पुरानी स्वीकृतियों पर यह राशि नहीं दी जाएगी।

सूखे कुएं-बावड़ियों के फिरेंगे दिन

प्रदेश में सूखे पड़े कुएं-बावड़ियों को रिचार्ज किया जाएगा, जिससे कि गांव का पानी गांव के लोगों को नसीब हो सकेगा। 26 जनवरी से शुरू हाने वाले मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत पहले चरण में राज्य की सभी पंचायतों से तीन हजार गांवों में परंपरागत जल स्त्रोतों कों विकसित किया जाएगा।

जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के प्रथम चरण के लिए तीन हजार गांवों का चयन किया गया है। दूसरे चरण में 6-6 हजार गांवों को इससे जोड़ा जाएगा। यह अभियान आमजन के हित में व सभी गांवों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाला होगा। अभियान से पंच, सरपंच, प्रधान, विधायक, सांसद समेत सभी जनप्रतिनिधियों को जुड़ना होगा।

उत्कृष्ट कार्यों पर मिला सम्मान

ग्रामीण महिला विकास संस्थान-बूबानी अजमेर को माइक्रो फाइनेन्स इंडिया अवार्ड 2015 एवं एक लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान कर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित माइक्रो फाइनेन्स इण्डिया अवार्ड प्रस्तुतिकरण समारोह में मुख्य अतिथि जयन्त सिन्हा, वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

यह अवार्ड ग्रामीण समाज के पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने, महिला स्वयं सहायता समूह गठित कर उन्हें विभिन्न रोजगारों से जोड़ने व आत्मनिर्भर बनने को प्रोत्साहित करने जैसे उत्कृष्ट कार्यों पर दिया गया है।

उत्पादों पर नहीं लिखा हानि-लाभ

डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों (पैक्ड फूड) के लिए केन्द्र सरकार ने फूड सेफ्टी गाइड लाइन जारी की है। गाइड लाइन के अनुसार डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की लेबलिंग व पैकेजिंग स्टैंडर्ड के अनुसार होनी चाहिए। पैकेट पर स्वास्थ्य से सम्बन्धित पूरी जानकारी देनी होगी।

पैकेट पर खाद्य वस्तु में मिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के नाम मात्रा आदि का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। साथ ही इस्तेमाल की गई सामग्री का नाम, उम्र के अनुसार इस्तेमाल की मात्रा तथा उसे संरक्षित रखने का तरीका दर्शाना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा जारी फूड सेफ्टी गाइड लाइन राजस्थान में भी लागू है, लेकिन इसकी पालना अभी तक नहीं हो रही।

-हनुमान प्रसाद पण्डा, भरतपुर

बेटियों के लिए बने खास योजना

राजस्थान में 15 से 19 वर्ष की आयु की लड़कियों में खून की कमी (एनीमिया) एक बड़ी बीमारी के रूप में उभर रही है। हर दो में से एक लड़की इसकी शिकार है। यदि इस ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह समस्या एक गंभीर रूप ले सकती है।

सांसद ओम बिड़ला ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मामला लोकसभा में उठाया। उन्होंने मांग की है कि राजस्थान में विशेष सर्वे करा कर एनीमिया से जूझ रही बालिकाओं के लिए विशेष योजना बनाई जाए। साथ ही मापदंड के तहत खून की कमी वाली बालिकाओं को पोषक आहार, आयरन और चिकित्सकीय सुविधाएं व सलाह दी जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 65 फीसदी तक बालिकाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जो काफी चिंताजनक है।

केन्द्रीय योजनाओं में बढ़ा प्रदेश पर भार

मिड डे मील, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल एज्यूकेशन मिशन, ड्रिंकिग वाटर प्रोग्राम, और हाउसिंग फॉर आल जैसी अहम योजनाओं को चलाने के लिए राज्य सरकार को पहले के मुकाबले अब ज्यादा धन खर्च करना होगा।

केन्द्र सरकार की सहायता से चल रही इन योजनाओं पर पहले 75 फीसदी पैसा केन्द्र देती थी और 25 फीसदी पैसा राज्य सरकार को मिलाना होता था। अब केन्द्र 60 फीसदी ही पैसा देगा शेष 40 फीसदी पैसा राज्य सरकार को मिलाना होगा। इससे प्रदेश पर 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485